संख्या-214/15/2002/9-8-15-20ज/2012

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगररीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त्, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2015

विषयः- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा नगर विकास विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सामान्य केा किफायती, पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्वता है। वर्तमान में 26 शासकीय सेवायें ई-डिलीवरी के माध्यम से प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करायी जा रही है। तत्क्रम में निर्णय लिया गया है कि नगर विकास विभाग की चयनित सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित कर लिया जाये ताकि 26 शासकीय सेवाओं की तरह नगर विकास विभाग की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को भी जन सामान्य को न सेवा केन्द्रों लोकवाणी केन्द्रों/ जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सुगमतापूर्वक आम जनमानस केा उपलब्ध कराया जा सके।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त नगर विकास विभाग की पूर्व से दी जा रही जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सेवा के साथ-साथ निम्नवत सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्मय से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- Birth and Death Registration
- Property Tax Payment
- Application for Trade License

http://shasanadesh.up.nic.in

- Allotment of Community Centres
- Application for Building Permission
- Application for Permission of Water Connection
- Application for Sewerage Connection
- New Assessment request
- Mortuary/Hearse Van Booking
- Burial Ground Booking

3. नगर विकास विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये बिन्दु निम्न तालिका के अनुसार यूजर चार्ज लिया जायेगा तथा अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे एवं नागरिक अपने क्रेडिट/डेविट/नेट बैंकिग से सेवा हेतु उपयुक्त भुगतान करेगा :-

क्र0सं0	**सेवा**	**यूजर चार्ज का अंश (रूपये में)**				**कुल यूजर चार्ज (रूपये में)**
		एस.सी.ए./केन्द्र संचालक	नगर विकास विभाग	डी.ई.जी.एस./लोक वाणी सोसाइटी	सी.ई.जी.	
1	नगर विकास विभाग द्वारा दी जा रही शासकीय सेवायें।	10	05	03	02	20

4. नगर विकास विभाग की चयनित सेवाओं में यूजर चार्जेज के अन्तर्गत विभाग के अंश के रूप में देय रूपये 05/- में से रूपये 04/- विभाग को देय होंगे तथा रूपये 01/- मेन्टीनेन्स के लिए रहेगा।

5. नगर विकास विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन.आई.सी./एस.आई.सी./एम.ई.एम.टी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी। ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्टस यथा जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओ को प्रदान किये जाने हेतु समस्त

http://shasanadesh.up.nic.in

आवश्यक कार्यवाहियां यथा इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।

7. आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों में जाकर केन्द्र आपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागिन करेगा ताकि विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों का अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

8. बिन्दु संख्या-7 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विभागीय पोर्टल/एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।

अत: उपरोक्तानुसार अपेक्षित समस्त कार्यवाहियां शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत करया जायेगा।

भवदीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-214/15/2002(1)9-8-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स , लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. हेड, एसईएमटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in